कार्यालय, आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/शि.प्र./एफ.आर.–3/2013/ 107 भोपाल, दिनांक 23.8.13

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0,
जिला – उज्जैन।

विषय :– म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम के अंतर्गत अभिदाय के संबंध में ।
संदर्भ :– आपका पत्र क्र0/सामान्य/2013 –14/1144 , दिनांक 03.06.2013

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अभिदाय-अंशदान भुगतान करने संबंधी मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में लेख है कि सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र0 45 के उपनियम 3 मे हुए निम्नलिखित नवीन प्रावधान (26 जून 2013 से प्रभावी) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

"(3) सोसाइटी का कोई भी प्रतिनिधि किसी सहकारी बैंक, वित्तीय बैंक, संघीय सोसाइटी या किसी शीर्ष सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपना पद धारित नहीं करेगा. यदि सोसाइटी ऐसे सहकारी बैंक, वित्तीय बैंक, संघीय सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी से उसके द्वारा लिए गए ऐसे किसी ऋण या ऋणों के संबंध में या राज्य सहकारी संघ एवं जिला सहकारी संघ को देय अभिदाय तथा अंशदान के भुगतान में तथा शासन की देनदारी में बारह मास से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रम करती है या व्यतिक्रमी हो गई है."

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर आयुक्त, 23/8
सहकारिता, म0प्र0

क्रमांक/शि.प्र./एफ.आर.–3/2013/ 107 भोपाल, दिनांक 23.8.13

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी संघ भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त, संभाग/जिला (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक समस्त।
4. जिला संघ समस्त।

अपर आयुक्त,
सहकारिता, म0प्र0

\\Computer\d\Network\ET\ET letter.doc

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र.

कमांक/शि.प्र./2013/ 57 भोपाल, दिनांक 10-4-2013

प्रति,

1. प्रबंध संचालक
   म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या.,
   भोपाल, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,
   (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषय– पत्र क्रमांक शि.प्र./08/139 दिनांक 17.10.2008 संशोधन बावत।
संदर्भ– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक शि.प्र./08/139 दिनांक 17.10.2008।

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित पत्र में म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 43 (2) के तहत राज्य/जिला सहकारी संघो को वर्ष 2006–07 के पश्चात साख संरचना संस्थाओं को किसी अभिदाय का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है, किन्तु सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 47 में सहकारी साख संरचना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं करने के निर्देश हैं।

अतः उक्त पत्र क्रमांक शि.प्र./08/139 भोपाल, दिनांक 17.10.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए पत्र में उल्लेखित शब्द "धारा 47" को विलोपित किया जाता है।

अपर आयुक्त 9/4
सहकारिता, म.प्र.

कमांक/शि.प्र./2013/ 57 भोपाल, दिनांक 10-4-2013

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता (समस्त) संभाग म.प्र.।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी संघ (समस्त) म.प्र.।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला (समस्त) म.प्र की ओर लेख है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को उक्त स्थिति से अवगत करने हेतु अपने स्तर से निर्देश जारी करें।

अपर आयुक्त 9/4
सहकारिता, म.प्र.

F:\desktop\letter 2012.doc

(50)

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म0प्र0

कमांक/शिक्षा प्रशिक्षण/08/ 139 भोपाल,दिनांक 17-10-08

प्रति,

1/ प्रबन्ध संचालक,
म. प्र. राज्य सहकारी बैंक,
मर्यादित भोपाल

2/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
(समस्त) म. प्र.

विषयः–मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 43 (2) एवं 47 तथा म. प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 30 के अन्तर्गत जिला सहकारी संघों/राज्य सहकारी संघ को देय अभिदाय एवं अंशदान ।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 43 (2) एवं म. प्र. सहकारी सोसयटी नियम 1962 के नियम 30 के अंतर्गत सहकारी सोसायटियों को जिला सहकारी संघों/म. प्र. राज्य सहकारी संघ को निर्धारित दर से अभिदाय/अंशदान दिये जाने का प्रावधान है ।

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरूद्धार पैकेज के अंतर्गत केन्द्रीय शासन/नाबार्ड से निष्पादित एमओयू. के तहत म. प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर 2007 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं 47 में संशोधन हुए है जिसमें सहकारी साख संरचना को किसी अभिदाय का भुगतान नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा अधिनियम में हुए उक्तानुसार संशोधन के आधार पर पूर्व के वर्ष का बकाया अभिदाय/अंशदान भी नहीं दिया जा रहा है ।

म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में हुए उक्तानुसार संशोधन दिनांक 13 दिसम्बर 2007 से लागू हुए है । अतः उक्त संशोधन लागू किये जाने के दिनांक के पूर्व के वर्ष अर्थात वर्ष 2006–07 तक के बकाया अभिदाय/अंशदान का भुगतान म. प्र. राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा जिला सहकारी संघों/म. प्र. राज्य सहकारी संघ को किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति के आधार पर बैंक की ओर वर्ष 2006–07 तक का बकाया अभिदाय/अंशदान जिला सहकारी संघ/म. प्र. राज्य सहकारी संघ को करें । कृपया आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।
(आयुक्त सहकारिता द्वारा अनुमोदित)

17/10/08

(जे.पी. गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त
सहकारिता,मुख्यालय भोपाल

— निरन्तर —

59
20/10/08

कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश

क्रमांक/समन्वय/2001/ 1169 भोपाल, दिनांक 12.10.2001

प्रति,

1/ प्रबंध संचालक,
शीर्ष सहकारी संस्थायें (समस्त)

2/ प्रबंध संचालक,/महा प्रबंधक,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
समस्त, मध्यप्रदेश

3/ महा प्रबंधक/प्रबंधक
जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या.
(समस्त)

4/ प्रबंध संचालक,
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. (समस्त)

5/ प्रबंधक,
जिला सहकारी संघ मर्यादित, (समस्त)

6/ प्रबंधक,
नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, (समस्त)

5308
18/10/01

विषय:- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित सहकारी अधिकरण के निर्णय एवं अन्य विशेषांक हेतु विज्ञापन बावत ।

संदर्भ:- कार्या. पत्र क्रमांक/सम./497 दिनांक 24.6.98

--00--

म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित म.प्र. सहकारी समाचार "साप्ताहिक" को शीघ्र ही सहकारी अधिकरण के निर्णय आधारित विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है । इस विशेषांक में लगभग 51 निर्णय प्रकाशित करने की योजना है । आपकी संस्था के कार्य उद्देश्य एवं प्रगति के प्रचार एवं प्रसार की दृष्टि से यह उचित होगा कि उक्त प्रकाशन में आपकी संस्था का विज्ञापन भी प्रकाशित हो जिससे आपकी संस्था की व्यापारिक गतिविधियों से सदस्यगण अवगत हो सकें ।

अतः आपसे अनुरोध है कि संस्थाओं द्वारा वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. राज्य सहकारी संघ के सहकारी समाचार पत्र का ग्राहक बनने एवं विज्ञापन देकर सहयोग प्रदान करें ।

पंजीयक
सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश

क्रमांक/समन्वय/2001/ 1169 भोपाल, दिनांक 12.10.2001

प्रतिलिपि:-

(1) समस्त, संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश ।

(2) प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक/प्रकाशन/1062 एवं 1063 दिनांक 7.9.2001 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

(3) निजी सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म0प्र0.

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें,मध्यप्रदेश

कमांक / शि.प्र. / 09 / 153
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर,09

प्रबन्ध संचालक / महाप्रबन्धक / प्रबन्धक,
शीर्ष सहकारी संस्थाएं,मध्यप्रदेश (समस्त)
अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश (समस्त)
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.मध्यप्रदेश (समस्त)
जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या.म.प्र.(समस्त)
जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या.मध्यप्रदेश (समस्त)
क्षेत्रीय दुग्ध संघ मध्यप्रदेश (समस्त)
जिला वनोपज यूनियन,मध्यप्रदेश (समस्त)
नागरिक सहकारी बैंक मर्या.मध्यप्रदेश (समस्त)
जिला सहकारी संघ मर्या.मध्यप्रदेश (समस्त)

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी समाचार की आजीवन सदस्यता(25 वर्ष)बाबत ।

संदर्भ :- म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्या.भोपाल का पत्र कमांक / प्रकाशन / 09 / 402 दिनांक 9.7.2009

---000---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा म.प्र.राज्य सहकारी संघ ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा 53 वर्षो से मध्यप्रदेश सहकारी समाचार का प्रकाशन किया जा रहा है ! अब इसे पाक्षिक रूप से प्रकाशित कर इसके कलेवर में भी सुधार किया गया है ।

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक में प्रदेश की सहकारिता की उपलब्धियां, पंजीयक के परिपत्र, सहकारी ट्रेब्युनल के निर्णय, शासकीय योजनाओं की जानकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियां आदि का प्रकाशन किया जा रहा है । यह जानकारी सहकारिता से जुड़े सभी के लिये ज्ञानवर्धक उपयोगी तथा सार्थक है ।

सहकारी संस्थाओं को यह समाचार पत्र कम कीमत तथा लम्बे समय तक मिलता रहे तथा प्रतिवर्ष ग्राहक राशि भेजना न पड़े इस उद्येश्य से आजीवन पच्चीस वर्षीय सदस्यता प्रारंभ की गई है ।

सहकारी समाचार पाक्षिक का वार्षिक शुल्क 150.00 है तथा आजीवन शुल्क मात्र 1500.00 (रू.एक हजार पांच सौ)मात्र निर्धारित किया गया है । आजीवन

(25 वर्ष) की सदस्यता लेने पर संस्था को रूपये 2250/- का जहां लाभ प्राप्त होगा वहीं एकमुश्त राशि प्राप्त होने पर संघ को भी सक्षमरूप से इसका निरन्तर प्रकाशन करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी ।

सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश सहकारी समाचार की आजीवन सदस्यता योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं ।

संयुक्त आयुक्त,
सहकारिता मध्यप्रदेश
भोपाल